

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या-38 एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (4क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :- 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 2 का संशोधन।

“(4ख) ‘कोर क्षेत्र’ से अभिप्राय है, इस संशोधन अधिनियम के लागू होने से पचास वर्ष पूर्व योजनाबद्ध या विकसित नगर सीमा के भीतर निर्मित क्षेत्र और जिसे शहरीकरण तथा समय व्यतीत हो जाने के कारण भूमि उपयोग की पुनर्योजना की आवश्यकता है तथा इसमें ग्राम आबादी का निर्मित क्षेत्र भी शामिल है, जिसे नगर सीमा में, बाद में शामिल किया गया है;”।

3. मूल अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 346 का संशोधन।

“(2) निदेशक, उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तिथि से छह मास के अपश्चात् या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो सरकार अनुज्ञात करे, नियन्त्रित क्षेत्र तथा कोर क्षेत्र को दर्शाते हुए और इसमें नियन्त्रित क्षेत्र में लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित निर्बन्धनों तथा शर्तों के स्वरूप को दर्शाते हुए योजनाएं तैयार करेगा और योजनाओं को सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परन्तु सरकार द्वारा यथा अधिसूचित योजना मानदण्डों तथा ऐसे प्रभारों के भुगतान तथा वसूली के अध्यक्षीन, कोर क्षेत्र में मिश्रित भूमि उपयोग को अनुमत किया जाएगा।”।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में नगर पालिका सीमा में और उसके आस पास नियंत्रित क्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रावधान है। इसके अलावा नगर पालिकाओं के आस पास बेतरतीब विकास को विनियमित करने के लिए पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 के तहत नियंत्रित क्षेत्रों की घोषणा और ऐसे नियंत्रित क्षेत्रों के लिए विकास योजना के प्रकाशन का प्रावधान है। नगर पालिका शहर के भीतर का क्षेत्र हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा शासित और विनियमित किया जाता है। क्षेत्र की एकीकृत योजना के उद्देश्य से 1963 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित नियंत्रित क्षेत्रों और विकास योजनाओं के प्रस्तावों को नगर पालिका सीमा में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत अपनाया गया है।

नियंत्रित क्षेत्रों व विकास योजनाओं के उपरोक्त स्थिति के साथ मौजूदा शहर को विकास योजना में विभिन्न शब्दों जैसे कि 'मौजूदा शहर' / कोर एरिया / पुराना शहर आदि का प्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। चूंकि, 'मौजूदा शहर' बेतरतीब ढंग से विकसित हुए हैं, इसलिए मौजूदा शहरों में विकास योजना में कोई भूमि उपयोग को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा, जहां नियंत्रित क्षेत्र नगर पालिका सीमा के चारों तरफ घोषित किए गए हैं, उक्त नगर पालिका सीमा के भीतर खाली पड़े क्षेत्रों को विकास योजनाओं में विभिन्न भूमि उपयोगों में नियत किया गया है, जो कि केवल सलाहकार प्रवृत्ति के हैं क्योंकि 1963 के अधिनियम के प्रावधान इन क्षेत्रों में लागू नहीं होते।

इसके अलावा, मौजूदा शहर या कोर क्षेत्र, जो मूल रूप से मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र है, को न तो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 और न ही हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में परिभाषित किया गया है। पारंपरिक रूप से नगर पालिकाओं में भवन योजनाओं को कोर क्षेत्रों में मंजूर करते हुए इसे मिश्रित भू उपयोग प्रकृति का मानती है परंतु किसी भी अधिनियम में कोर क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार कोर क्षेत्र और मिश्रित भूमि उपयोगों पर कोई स्पष्टता नहीं है। इससे ऐसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं के प्रस्तावों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की शब्दावली जैसे कि 'मौजूदा शहर' / कोर एरिया / पुराना शहर आदि के कारण भ्रम उत्पन्न होता है।

अतः इस भ्रम को दूर करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में संशोधन के द्वारा कोर क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए कोर क्षेत्र की परिभाषा और मिश्रित भू उपयोग संबंधी प्रावधान कोर क्षेत्र में करने की आवश्यकता है।

कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :

दिनांक : 25 दिसम्बर, 2022

आर० के० नांदल,

सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नमेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध**हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 से उद्धरण**

धारा 346 की उप धारा (2) :-नियन्त्रित क्षेत्र की घोषणा

निदेशक, उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तिथी से छह मास के अपश्चात् या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो सरकार अनुज्ञात करे, नियन्त्रित क्षेत्र को दर्शाते हुए और इसमें नियन्त्रित क्षेत्र में लागू किये जाने के लिए प्रस्तावित निर्बन्धनों तथा शर्तों के स्वरूप को दर्शाते हुए योजनाएं तैयार करेगा और योजनाओं को सरकार को प्रस्तुत करेगा।

